हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्याःहोम–बी (बी) –2-3 / 1993, तारीख शिमला–2 15 सितम्बर,2014.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 8 / 7 / 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम तारीख 21 मई, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम (द्वितीय संशोधन) 2014 हैं।
	(2)	यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
उपाबन्ध–"क" एवम "ख" का संशोधन	(1)	महाधिवक्ता कार्यालय हिमाचल प्रदेश पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,1997 के उपाबन्ध– "क" मेंः–
	(क)	स्तम्भ 15– क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– "संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 16 सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच (5) दिन का विशेष अवकाश का भी हकदार होगा / होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।"
	(ख)	स्तम्भ 15–क (VII) (घ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। परन्तु असाधारण परिस्थितियों, जो व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर चिकित्सा आधार पर हो ऐसे अनाधकृत

		अनुपस्थिति उसका/उसकी अवकाश नियमितिकरण की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा किन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियन्त्रक अधिकारी को समय पर सूचित करेगा । परन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। परन्तु वह सरकार के व्याप्त अनुदेशों के अनुसार बिमार/आरोग्य प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

आदेश द्वारा

पी. मित्रा
मुख्य सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याःहोम–बी (बी) 2–3/1993, शिमला–2 15 सितम्बर,,2014.

1. महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1 को तथा उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें ।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2.
3. समस्त विभागाघ्यक्ष हिमाचल प्रदेश
4. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां ।

(विजय कुमार शर्मा)
उप सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–ख

पुस्तकालयाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री /श्री मति....................पुत्र /.पुत्री श्री..................निवासी.............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, महाधिवक्ता हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...... ...... को किया गया ।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:--

1. यह कि प्रथम पक्षकार पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में ....से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में और <u>विस्तारण/नवीकरण</u> के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को संविदात्मक रकम 13500/– रूपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति (पर्यवसित) समाप्त की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 16 सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉच (5) दिन का विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।"
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा।

   परन्तु असाधारण परिस्थितियों, जो व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर चिकित्सा आधार पर हो ऐसे अनधिकृत अनुपस्थिति उसका/उसकी अवकाश नियमितिकरण की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा किन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियन्त्रक अधिकारी को समय पर सूचित

करेगा ।

परन्तु संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा

परन्तु वह सरकार के व्याप्त अनुदेश के अनुसार बिमार/आरोग्य प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी /व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति/कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में

1............................

(नाम व पूरा पता)

2..............................

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1............................

(नाम व पूरा पता)

2..............................

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English text of the Department Notification NO. Home-B(B)-2-3/1993 dated ....as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Home

No. Home-B(B)-2-3/1993 Dated: Shimla-2 the 15th September,2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Advocate General office Librarian (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1997 notified vide this Department Notification of even number dated 21st May, 2013, namely:-

Short title and commencement	1	(1)	These Rules may be called the office of the, Advocate General, H.P. Assistant Librarian, Class-III- (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Aamendment) Rules, 2014.
		(2)	These Rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himacha Pradesh.
Amendments of Annexure "A" & "B"	2	(1)	In **Annexure-"A"** to the office of the Advocate General, H.P. Librarian, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules,08.07.1997:-
		a)	Against Col.15-A(VII) (C) following will be substituted:- Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

		Provided that the an-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
	b)	Against Col.15-A(VII) (d) following will be substituted:- Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty. Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Governmemnt.

By Order

P. Mitra
Chief Secretary (Home)
Government of Himachal Pradesh

Ends.No. Home-B(B)-2-3/1993 Dated: Shimla-2, the 15th September,2014

Copy to:-

1. The Advocate General H.P Shimla-1 for information and necessary action with request to supply 20 copies of the Rajpatra to the under signed.
2. All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. All the Head of Department in Himachal Pradesh.
4. Guard file (50 Copies).

(Vijay Kumar Sharma)
Deputy Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone N.0177 2628491

"Annexure-B"

Form of contract/agreement to be executed between the Librarian and the Government of Himachal Pradesh through--------- Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ______day of ______in the year ___Between Sh. / Smt.______S/o / D/O Shri ________R/O________, contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _______(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Librarian (Name of the post) on contract basis on the following terms & condition:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Librarian for a period of one year commencing on day of _____and ending on the day of ______. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ....and information notice shall not be necessary.

   Provided that for-further extension / renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The Contractual emolument of the first party will be Rs.13500/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the First Party was engaged on contract.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kinds except above is admissible to the contract appointee.

   Provided that the an-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for

regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.______________________ (Signature of the FIRST PARTY))

(Name and Full Address)

2.______________________ (Signature of the SECOND PARTY)

(Name and Full Address)